



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2812]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938

No. 2812]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

का.आ. 3591(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 5 के खंड (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 419 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संहिता के भाग-2 द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए 01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1935(अ) द्वारा गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के न्यायपीठों को अभिहित करती है।

2. यह अधिसूचना तारीख 01 दिसंबर, 2016 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ए-45011/14/2016-प्रशासन-IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2016

S.O. 3591(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 419 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), read with clause (1) of section 5 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) (hereinafter referred to as the Code), the Central Government hereby designates Benches of the National Company Law Tribunal constituted vide notification number S.O. 1935 (E) dated the 1st day of June, 2016 to exercise the Jurisdiction, powers and authority of the Adjudicating Authority conferred by or under Part II of the Code.

2. This notification shall come into force from 1st December, 2016.

[F. No. A-45011/14/2016-Ad-IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.